

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना

दिनांक:- 17-3-2015

संख्या 18/2/2013-3क1 :- हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 4 की उपधारा (1) व (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 18/12/2013-3क1, दिनांक 03.01.2013 को विखण्डित करते हैं।

एस.एन.राय  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

  
Superintendent  
Committee-I Branch  
Haryana Civil Secretariat  
Chandigarh.